(8)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 03 / 2018 / राजस्व वाद

उनवान

1. रामप्रसाद पि. नाथूलाल जाति लुहार नि. दुबलिया तहसील रायपुर
2. राधेश्याम पि. नाथूलाल जाति लुहार नि. दुबलिया तहसील रायपुर
3. सत्यनारायण पि. नाथूलाल जाति लुहार नि. दुबलिया तहसील रायपुर
4. प्रवीण पि. पूनमचन्द जाति लुहार नि. दुबलिया तहसील रायपुर
5. गीताबाई पत्नि पूनमचन्द जाति लुहार नि. दुबलिया तहसील रायपुर
6. मोहन पि. पि. नाथूलाल पत्नि मोहनलाल जाति लुहार नि. रायपुर
7. गोपाल माता रूकमणबाई पिता प्रभूलाल जाति लुहार नि. परासली
8. राजू पि. बद्रीलाल जाति लुहार नि. दुबलिया तहसील रायपुर
9. रेखा पि. बद्रीलाल पत्नि प्रेमजी जाति लुहार नि. बरखेडालोया म.प्र.
10. हेमलता पि. बद्रीलाल पत्नि गिरिराज जाति लुहार नि.चांपाखुर्द तहसील खानपुर
11. सीमा पि. बद्रीलाल पत्नि पवन जाति लुहार नि.कोटा
12. रतनबाई बेवा बद्रीलाल जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर
13. विनोद पि. मदनलाल जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर
14. राकेश पि. मदनलाल जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर
15. ममता पि. मदनलाल पत्नि बबलू जाति लुहार नि.बाबुल्दा म.प्र.
16. सुमित्रा पि. ओंकार पत्नि नवल जाति लुहार नि. गोगडपुर म.प्र.
17. भगवत पि. ओंकार पत्नि सुरेन्द्र जाति लुहार नि.खानपुर तहसील खानपुर

– वादीगण

बनाम

1 कनीराम पि. लक्ष्मण जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर

2 मंजुबाई बेवा गिरिराज जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर

3 जीया पि. गिरिराज नाबालिग संरक्षक माता मंजुबाई जाति लुहार नि.दुबलिया

4 मृतक – विरधीचन्द पि. लक्ष्मण जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर

4/1 मोहनलाल पि. विरधीचन्द जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.07.01 11:27:14 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

4/2 रामबाबू पि. बिरधीचन्द जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर

4/3 रामकन्याबाई पि. बिरधीचन्द पत्नि रामचन्दर जाति लुहार नि.देवलियाखेड़ी म.प्र.

4/4 रूपनुबाई पि. बिरधीचन्द पत्नि भूपेन्द जाति लुहार नि.अर्जुनपुरा जिला बारां

4/5 सुन्दरबाई बेवा बिरधीचन्द जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर

5 राज.सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

--प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 92 ए, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण – श्री कालूराम मेघवाल

निर्णय दिनांक : 29/06/2022

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा ग्राम दुबलिया तहसील रायपुर की जनाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 341 आराजी किता 29 रकबा 52 बीघा 19 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 53, 88, 91, 92 ए, 188, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी की है जिसका विधिवत बंटवारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा है परन्तु राजस्व केम्प में वादीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया है। वादीगण मौके पर 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज होने से प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी से अधिक मुआवजा लेना चाह रहे है इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वाद पत्र में अंकित पारिवारिक शजरे अनुसार लक्ष्मणजी के तीन पत्नियां थी जिसके अनुसार बिरधीचन्द व कनीराम 1/3 हिस्से में आते है परन्तु फोती नामा. में नाथूलाल, ऑंकारलाल, बिरधीचन्द, कनीराम का बराबर बराबर 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है। वाद कारण दिनांक 25.10.2017 को उस समय उत्पन्न हुआ जब ... हिस्सा सही करवाने की कही परन्तु प्रतिवादीगण इंकार ...

पारिवारिक शजरा निम्नानुसार है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.07.01 11:27:14 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

COURT 2022

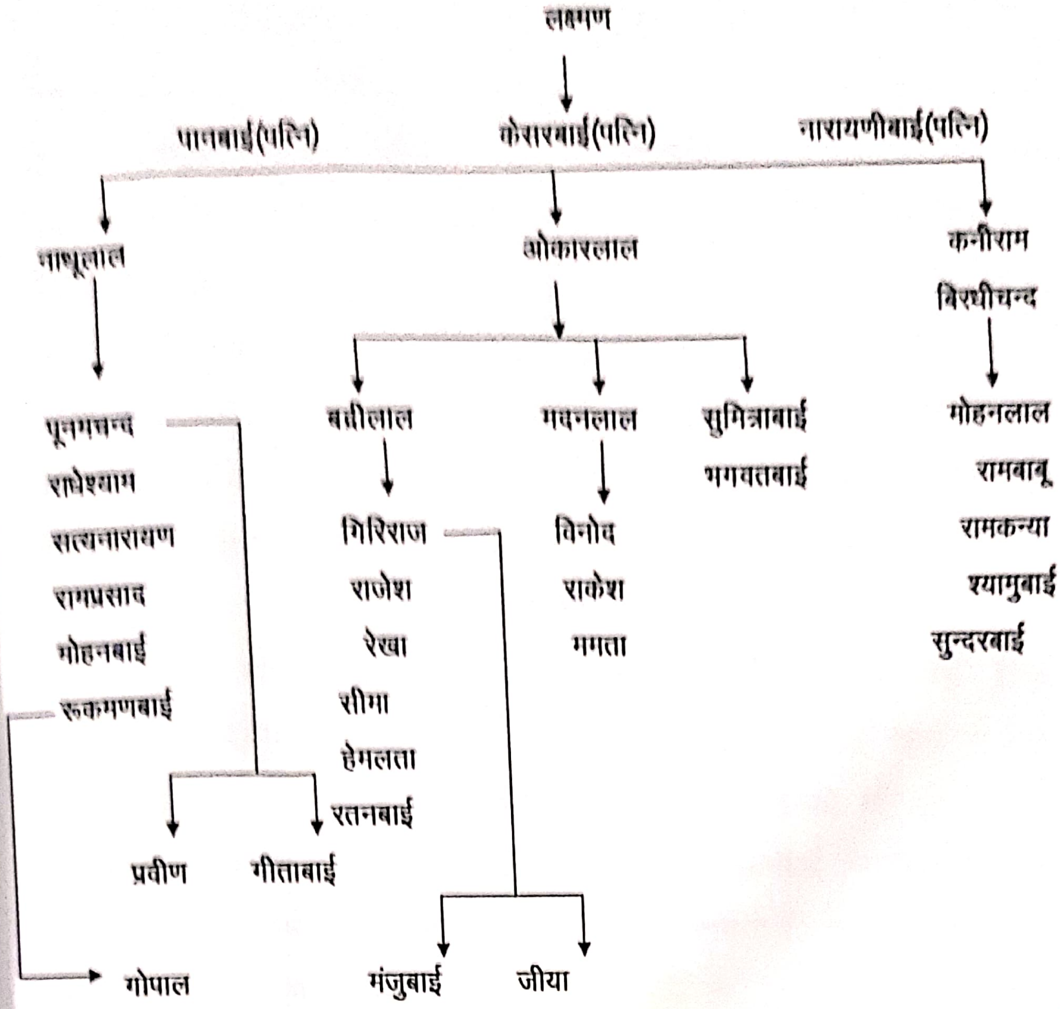

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम दुबलिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 341 आराजी किता 29 रकबा 52 बीघा 19 बिस्वा भूमि में नाथूलाल का 1/3 हिस्सा, ओंकारलाल का 1/3 हिस्सा, बिरधीचन्द का 1/6 हिस्सा एवं कनीराम का 1/6 हिस्सा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। वाद पत्र के साथ जमाबंदी 2070–73 के खाता सं. 341 की नकल प्रस्तुत की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दौराने साक्ष्यवादी दिनांक 13.05.2022, 17.05.2022, 23.05.2022 को पक्षकारान के मध्य हुये आपसी राजीनामे अनुसार पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पत्र प्रस्तुत किया एवं मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा [illegible] गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा जमाबंदी सं. [illegible] की नकल पेश कर वर्तमान रिकार्ड व पारिवारिक राजीनामें अनुसार वाद डिक्री [illegible] जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.07.01 11:27:14 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना,)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

(9)

वादपत्र, पारिवारिक राजीनामा पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं विद्वान वकील वादी द्वारा की गई बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम दुबलिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 341 आराजी किता 29 रकबा 52 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसका विधिक बंटवारा नहीं होने से पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद होकर अन्य परेशानी का सामना करना पडता है। दिनांक 13.05. 2022, 17.05.2022, 23.05.2022 को हुये आपसी राजीनामें अनुसार पक्षकारान के मध्य हुये आपसी पारिवारिक समझौता के अनुसार सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है एवं राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दुरूस्त करवाने हेतु सहमत है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादीगण स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाकर ग्राम दुबलिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 398 आराजी किता 29 रकबा 13.3925 हेक्टर (52 बीघा 19 बिस्वा) भूमि में वादीगण रामप्रसाद , राधेश्याम , सत्यनारायण पि. नाथूलाल, मोहनबाई पि. नाथूलाल हि. 4/18, प्रवीण कुमार पि. पूनमचन्द, गीताबाई बेवा पूनमचन्द हि. 1/18, गोपाललाल माता रूकमणबाई पि. प्रभूलाल हि. 1/18, राजू उर्फ राजेश पि. बद्रीलाल, रेखाबाई, हेमलताबाई, सीमाबाई पुत्रियां बद्रीलाल, रतनबाई बेवा बद्रीलाल हि. 5/72 मंजुबाई बेवा गिरिराज, जीया नाबालिग पुत्री गिरिराज संरक्षक माता मंजुबाई हि. 1/72, विनोद कुमार, राकेश कुमार पिस. मदनलाल, ममताबाई पुत्री मदनलाल हि. 1/12, सुमित्राबाई, भगवतबाई पुत्रियां ओंकारलाल हि. 2/12 , कनीराम पि. लक्ष्मण हि. 1/6, मोहनलाल, रामबाबू पिस. बिरधीचन्द, रामकन्याबाई, श्यामुबाई पुत्रियां बिरधीचन्द, सुन्दरबाई बेवा बिरधीचन्द हि. 1/6 जाति लुहार नि. दुबलिया का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। पक्षकारान का बैंक रहन यथावत दर्ज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.07.01 11:27:14 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

पिड़ावा जिला झालावाड़

(10)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 03/2018/राजस्व वाद

उनवान

1. रामप्रसाद पि. नाथूलाल जाति लुहार नि. दुबलिया तहसील रायपुर
2. राधेश्याम पि. नाथूलाल जाति लुहार नि. दुबलिया तहसील रायपुर
3. सत्यनारायण पि. नाथूलाल जाति लुहार नि. दुबलिया तहसील रायपुर
4. प्रवीण पि. पूनमचन्द जाति लुहार नि. दुबलिया तहसील रायपुर
5. गीताबाई पत्नि पूनमचन्द जाति लुहार नि. दुबलिया तहसील रायपुर
6. मोहन पि. पि. नाथूलाल पत्नि मोहनलाल जाति लुहार नि. रायपुर
7. गोपाल माता रूकमणबाई पिता प्रभूलाल जाति लुहार नि. परासली
8. राजू पि. बद्रीलाल जाति लुहार नि. दुबलिया तहसील रायपुर
9. रेखा पि. बद्रीलाल पत्नि प्रेमजी जाति लुहार नि. बरखेडालोया म.प्र.
10. हेमलता पि. बद्रीलाल पत्नि गिरिराज जाति लुहार नि.चांपाखुर्द तहसील खानपुर
11. सीमा पि. बद्रीलाल पत्नि पवन जाति लुहार नि.कोटा
12. रतनबाई बेवा बद्रीलाल जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर
13. विनोद पि. मदनलाल जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर
14. राकेश पि. मदनलाल जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर
15. ममता पि. मदनलाल पत्नि बबलू जाति लुहार नि.बाबुल्दा म.प्र.
16. सुमित्रा पि. ओंकार पत्नि नवल जाति लुहार नि. गोगडपुर म.प्र.
17. भगवत पि. ओंकार पत्नि सुरेन्द्र जाति लुहार नि.खानपुर तहसील खानपुर

– वादीगण

बनाम

1. कनीराम पि. लक्ष्मण जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर
2. मंजुबाई बेवा गिरिराज जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर
3. जीया पि. गिरिराज नाबालिग संरक्षक माता मंजुबाई जाति लुहार नि.दुबलिया
4. मृतक – बिरधीचन्द पि. लक्ष्मण जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर

4/1 मोहनलाल पि. बिरधीचन्द जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर
4/2 रामबाबू पि. बिरधीचन्द जाति लुहार नि.दुबलिया तहसील रायपुर
4/3 रामकन्याबाई पि. बिरधीचन्द पत्नि रामचन्दर जाति लुहार नि.देवलियाखेडी म.प्र.
4/4 श्यामुबाई पि. बिरधीचन्द पत्नि भूपेन्द्र जाति ल[illegible]र्जुनपुरा जिला बारां
4/5 सुन्दरबाई बेवा बिरधीचन्द जाति लुहार [illegible] रायपुर

5. राज.सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.07.01 11:27:14 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना,
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

(11)

दावा अन्तर्गत धारा 53 , 88 , 91 , 92 ए , 188 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण – श्री कालूराम मेघवाल

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद वादीगण स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाकर ग्राम दुबलिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 398 आराजी किता 29 रकबा 13.3925 हेक्टर (52 बीघा 19 बिस्वा) भूमि में वादीगण रामप्रसाद , राधेश्याम , सत्यनारायण पि. नाथूलाल , मोहनबाई पि. नाथूलाल हि. 4/18 , प्रवीण कुमार पि. पूनमचन्द , गीताबाई बेवा पूनमचन्द हि. 1/18 , गोपाललाल माता रूकमणबाई पि. प्रभूलाल हि. 1/18 , राजू उर्फ राजेश पि. बद्रीलाल , रेखाबाई , हेमलताबाई , सीमाबाई पुत्रियां बद्रीलाल , रतनबाई बेवा बद्रीलाल हि. 5/72 मंजुबाई बेवा गिरिराज , जीया नाबालिग पुत्री गिरिराज संरक्षक माता मंजुबाई हि. 1/72 , विनोद कुमार , राकेश कुमार पिस. मदनलाल , ममताबाई पुत्री मदनलाल हि. 1/12 , सुमित्राबाई , भगवतबाई पुत्रियां ओंकारलाल हि. 2/12 , कनीराम पि. लक्ष्मण हि. 1/6 , मोहनलाल , रामबाबू पिस. बिरधीचन्द , रामकन्याबाई , श्यामुबाई पुत्रियां बिरधीचन्द , सुन्दरबाई बेवा बिरधीचन्द हि. 1/6 जाति लुहार नि. दुबलिया का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। पक्षकारान का बैंक रहन यथावत दर्ज रहेगा।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/06/22 को जारी की गई।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी भिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत् हजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत् हजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.07.01 11:27:14 IST
Reason: SelfAttested